to boost exports to non-quota countries.

(c) The major countries importing textile goods are: USSR, EEC, USA, Canada, Japan, Sweden, Switzerland, Australia, Czechoslovakia, etc.

P.M.'s criticism of big houses

782. SHRI D. B. CHANDRE GOWDA:
SHRIMATI RATAN KUMARI:
SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the Prime Minister has recently critisised the big business houses in the country for not making any efforts to boost exports;

(b) if so, the details of the big business houses which are exporting Inidian made-items to other countries; and

(c) what efforts Government have made to encourage the big business houses to export more?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) to (c) The Prime Minister had made a mention to the effect that the big houses in the country had not done enough to boost exports.

A number of measures have been taken in the field of fiscal policy, industrial policy and import-export policy which would encourage *inter alia* larger houses to export. These include, among other, the set off of a percentage of net f.o.b. value of exports allowed for income tax purposes, raising of limit from Rs. 20 crores to Rs. 100 crores for large houses under the MRTP Act. expansion of the list of industries of Appendix I to the Press Note of Februry 2, 1973 for investment by MRTP/FERA Companies and the decision that export production will be kept outside the licensed capacity.

भारतीय दूतावासों में राजभाषा का प्रयोग

783. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में राजभाषा के प्रयोग से संबंधित स्थिति क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि विदेशों में तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो न केवल अपनी भाषा तथा अपनी वेश-भूषा का प्रयोग नहीं करता बल्कि अपनी संस्कृति को भी प्रस्तुत नहीं करता है ; और

(ग) यदि हां, तो राजभाषा के संवर्धन के लिए क्या-क्या नये कदम उठाये जाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) मंत्रालय समय-समय पर अपने मिशनों को सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग की आवश्यकता पर बल देते हुए राजभाषा सम्बन्धी आदेश भेजता रहा है । हमारे मिशनों के कार्य का स्वरूप सर्वथा भिन्न है । उनका अधिकांश कार्य विदेशी सरकारों के साथ होता है । तथापि, मुख्यालय के साथ मिशनों का पत्र-व्यवहार कुछ सीमा तक हिन्दी में होता है । मिशनों में उपयोग में आने वाली आम-पट्टिकाएं, रबड़ की मुहरें आदि राजभाषा नियमों के अनुसार हिन्दी में हैं । सांस्कृतिक तथा अन्य अवसरों पर विशेष रूप से ऐसे देशों में जहां भारतीय मूल के व्यक्तियों की संख्या अधिक है, राजभाषा का भी प्रयोग किया जाता है । फिर भी मिशनों का अधिकांश कार्य अंग्रेजी में ही किया जाता है ।

(ख) और (ग) संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों को केवल वहां की अधिकारिक भाषाओं के प्रयोग करने की अनुमति है । फिर भी कोई सदस्य देश यदि चाहे तो अपनी

भाषा का प्रयोग कर सकता है परन्तु इसके लिये उसे उस पर होने वाला व्यय वहन करना पड़ता है जो बहुत अधिक होता है। जहां तक विदेशों का संबंध है, हम अनेक अवसरों पर हिन्दी का प्रयोग तो करते ही हैं, साथ ही औपचारिक अवसरों पर राष्ट्रीय वेश-भूषा भी पहनते हैं। यह कहना भी सही नहीं है कि भारत अपने देश की संस्कृति को प्रस्तुत करने के लिए कुछ नहीं करता। हम विदेश स्थित हमारे मिशनों के माध्यम से अपनी संस्कृति और साहित्य आदि को प्रस्तुत करने का प्रयास करते रहे हैं। इस उद्देश्य से हम अपने विदेश स्थित मिशनों को भारतीय संस्कृति, साहित्य, धर्म, इत्यादि विषयों पर हिन्दी की पुस्तकें भेजते रहते हैं। वे हिन्दी और भारतीय संस्कृति में रुचि रखने वाले विदेशी लोगों को ये पुस्तकें भेंट करते हैं। हमारे मिशन अनेक अवसरों पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं जिनमें विदेशी लोगों को भी आमंत्रित किया जाता है। भारतीय संस्कृति में विदेशी लोगों की रुचि जाग्रत करने के लिए हम विदेशों में "भारत उत्सव" भी आयोजित करते रहते हैं। कुछ देशों में हमारे भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र भी हैं जिनका उद्देश्य अपनी संस्कृति का प्रसार करना है।

"क" और "ख" क्षेत्रों में हिन्दी का प्रयोग

784. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "क" और "ख" क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले सभी राज्य अपना कोई या सभी कामकाज अपने राज्य की भाषा अथवा राजभाषा की बजाए अंग्रेजी में करने को बाध्य हैं क्योंकि वहां राजभाषा का कोई कक्ष नहीं है और यदि कोई राज्य राजभाषा में पत्राचार करता है तो उसका अनुवाद 15 दिनों में होता है और तत्पश्चात् उस पर विचार करके अंग्रेजी में उसका उत्तर तैयार किया जाता है और उसका हिन्दी अनुवाद कराने में पुनः 15 दिन लग जाते हैं; यदि हां, तो क्या केवल इसी कारण से हिन्दी भाषी राज्य काम में शीघ्रता लाने के लिये अंग्रेजी में पत्राचार करने को बाध्य हैं; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या अधिनियम के अनुसार उनके मंत्रालय द्वारा "क" और "ख" क्षेत्रों को अपने मूल पत्र, पत्रोत्तर तथा तार आदि केवल राजभाषा में भेजा जाना आवश्यक है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं। मंत्रालय के सभी विभागों में जहां भी आवश्यक है, हिन्दी कक्ष पहले ही कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकारों से पत्राचार करने में उन्हें हिन्दी में पत्र भेजे जाने के बावजूद भी कोई विलम्ब नहीं होता है। अतः यह कहना सही नहीं है कि "क" और "ख" क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले राज्यों को वित्त मंत्रालय के साथ अंग्रेजी में पत्राचार करने के लिये बाध्य किया जाता है।

(ख) राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा उसके अन्तर्गत बने राजभाषा नियम, 1976 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र "क" में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति के पत्रादि, असाधारण दशाओं को छोड़ कर हिन्दी में होंगे और यदि उनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जायेगा। इसी प्रकार क्षेत्र "ख" में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि मामूली तौर पर हिन्दी में होंगे और यदि इनमें से किसी को पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जायेगा। वित्त मंत्रालय में राजभाषा-अधिनियम की अपेक्षाओं का कुल मिलाकर पालन किया जा रहा है।